फोन : 0135–2621669 फैक्स : 0135–2620933, E-mail-director.rajaji@gmail.com
कार्यालय–उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून,
5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून–248001

पत्रांक 449/12–1 देहरादून, दिनांक 13 मई, 2021।

अधिशासी अभि० 1959 19 मी० 25/5/21

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा(गढ़वाल)।

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 155/2018 के अन्तर्गत विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन। **Online Proposal No. FP/UK / ROAD / 44583 / 2020**

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 2570/ FP/UK/ROAD/44583 / 2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको एंव इस कार्यालय को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, पौड़ी को पृष्ठांकित है। जिसके द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/ यू0सी0पी0 /06/159/2020/एफ0सी0/2529, दिनांक 26–03–2021 में अधिरोपित शर्तों के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी/ निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है:–

1. <u>प्रतिपूरक वनीकरणः शर्त संख्या 3–</u>

(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिऐ 1020 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एंव दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.02 ha area(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाय।

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एंव Coordinates अंकित करते हुए डिजीटल मानचित्र एंव क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

(सहा०अभि० ले०इ०/अभि० personally सम्पर्क करके अग्रिम कार्यवाही करें।)

2. <u>शर्त संख्या 4</u>– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एंव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है। प्रतिपूरक वनीकरण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित रू0 3,43,927.68 अर्थात रू0 3,43,928.00 की धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश पत्रांक संख्या–क–972/3–5–2(II) दिनांक 21, नवम्बर, 2017 के अनुसार किया गया है।

<u>वसूली वर्ष 2020–21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि का विवरणः–</u>

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत वन भूमि – 0.51 X 2 = 1.02 है0
प्रतिपूरक वनीकरण की वर्तमान दर प्रति है0 – 3,37,184.00 प्रति है0
प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशिं– 1.02 X 3,37,184.00= 3,43,927.68
या 3,43,928.00

Scanned with CamScanner

3. <u>शर्त संख्या 5–</u> शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.51 है0 हेतु @ 438000 x 10 = 22,33,800.00 की धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

<u>एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन</u>

(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एंव 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत् 0.51है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) वसूल करेगी, जिसकी देयता निम्नानुसार है:–

ईको–क्लास श्रेणी – IV
हरियाली का घनत्व – 0.10 MFD
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0– मु0 4,38,000.00 प्रति है0
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 0.51 है0
एन0पी0वी0 की कुल देय धनराशि–0.51 x 438000 x 10 = 22,33,800.00

(बाईस लाख तैतीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र।

(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।

4. <u>शर्त संख्या 6 –</u> प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एंव पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 (trees) वृक्ष से अधिक नहीं होगी एंव पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
5. <u>शर्त संख्या 7 –</u> Details of density and Eco-Class found different in Para 4 Part-II and NPV sheet. DFO will verify the density and Eco-Class and accotingly NPV will be deposited.
6. <u>शर्त संख्या 8 –</u> परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किये जायेंगे।
7. <u>शर्त संख्या 9 –</u> गाईडलाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य पारम्भ करने के लिऐ पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। राथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई गतिविध नहीं की जायेगी।
8. <u>शर्त संख्या 10 –</u>एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. <u>शर्त संख्या 11 –</u> प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
10. <u>शर्त संख्या 12 –</u>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।
11. <u>शर्त संख्या 13–</u> पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
12. <u>शर्त संख्या 14–</u> केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आऊट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13. <u>शर्त संख्या 15 –</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एंव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14. <u>शर्त संख्या 16 –</u> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

15. शर्त संख्या–17 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।
16. शर्त संख्या 18 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिऐ वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17. शर्त संख्या 19 – वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18. शर्त संख्या 20 – केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंरियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
19. शर्त संख्या 21 – इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एंव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
20. शर्त संख्या 22 – पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।
21. शर्त संख्या 23 – प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुर्नर्जीवित करने का कर्य किया जायेगा।मलवे को यथास्थान रखनें हेतु दीवारें बनाई जायंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एंव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाय मलवा निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. शर्त संख्या 24 – यदि अन्य कोई सम्बधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।
23. शर्त संख्या–25 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिपूर्ण अनुपालना रिर्पोट (https:// parivesh. Nic. in) पर अपलोड की जायेगी।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या को ऑनलाईन अपलोड कर संगत दस्तावेज /अनुपालन आख्या की 04 प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तों की अनुपालना के पश्चात् ही भारत सरकार के पत्रांक 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 एंव उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक– 941/X–4–18/1–05(04)/2018 दिनांक 26–09–2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय
12.5.2021
उप निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

पत्रांक 449/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

12-5-2021
उप निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून।

D/C

Scanned with CamScanner